निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 6/2024
दायरा दिनांकः—06.11.2024
निर्णय दिनांकः— 25.3.25

उनवान

1. जगदीश आयु 65 वर्ष पुत्र लालजीराम
2. हरिचरण आयु 60 वर्ष पुत्र लालजीराम
3. पप्पु आयु 35 वर्ष पुत्र घांसीलाल
4. परमेश आयु 32 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति जाटव निवासी देहरी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. कमला बाई आयु 45 वर्ष पुत्री घांसीलाल पत्नि जमनालाल निवासी कसार जिला कोटा (राज0)
6. गुड्डी बाई आयु 43 वर्ष पुत्री घांसीलाल पत्नि जगदीश निवासी झालावाड
7. कान्ति बाई आयु 41 वर्ष पुत्री घांसीलाल पत्नि महेन्द्र निवासी बारां
8. कन्या बाई आयु 39 वर्ष पुत्री घांसीलाल पत्नि गजानन्द निवासी सादलखेडी जिला कोटा (राज0)
9. शिमला बाई आयु 37 वर्ष पुत्री घांसीलाल पत्नि राजमल जातियान जाटव निवासी सादलखेडी जिला कोटा (राज0)

बनाम

1. हीरालाल आयु 70 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी इन्द्रा कॉलोनी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. छोटया आयु 65 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जाति जाटव मृतक ज्ञानसिंह पुत्र छोटेलाल मृतक प्रतिनिधी
   2/1 हेमंत आयु 14 वर्ष पुत्र ज्ञानसिंह
   2/2 भूपेन्द्र आयु 8 वर्ष पुत्र ज्ञानसिंह नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मोहनी बाई
   2/3 मोहनी बाई आयु 35 वर्ष पत्नि ज्ञानसिंह निवासी जाटव मोहल्ला कोली वाला चौक राधौगढ जिला गुना मध्य प्रदेश
3. सचिव ग्राम पंचायत कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. ग्राम पंचायत कडैयाबन जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

अपील बनाराजगी इन्तकाल नम्बर 376
दिनांक 11.12.1978 ग्राम पंचायत कडैयाबन

निर्णय दिनांकः— 25.3.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. बाल मुकन्द खण्डेलवाल — प्रार्थी
2. सुरेन्द्र भार्गव — अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इंतकाल नं. 376 दिनांक 11.12.1978 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के न्यायालय में इस आशय की पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 के द्वारा 11.12.1978 को इंतकाल नं. 376 के सम्बन्ध में पारित आदेश सर्वथा अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 ने मृतक खातेदार लालजी पुत्र गौरया के सम्बंध मे किसी तरह की जांच किये बिना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करके इंतकाल नं. 376 तस्दीक करने मे कानूनी भूल की है इस कारण इन्तकाल नम्बर 376 खारिज किये जाने यौग्य है। आराजी खसरा नम्बर 817/ 896 रकबा 10 बीघा लालजीराम पुत्र गौरया जाति जाटव निवासी ग्राम कडैयावन के खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी। रेस्पाडन्ट 3 व 4 ने बिना किसी तरह की जांच किये रेरपोडेन्ट नं. 1 व 2 के द्वारा दी गईं झूठी व मिथ्या जानकारी के आधार पर इन्तकाल नम्बर रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे तस्दीक किया जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 चुन्नीलाल के पुत्र है जिन्होने मिथ्या जानकारी देकर स्वयं को लालजीराम का पुत्र बताकर स्वयं के नाम इन्तकाल नम्बर 376 तस्दीक करवाया जो सर्वथा अवैधानिक होने से खारिज किये जाने योग्य है। तत्कालीन पटवारी हल्का दारा भी किसी भी तरह की जॉच किये बिना ही रेस्पोडेन्ट नम्वर 1 व 2 से मिलीभगत कर उनके पक्ष मे इन्तकाल खोलकर ग्राम पंचायत कडैयाबन से तस्दीक करवाया जो पूर्णतया अवैधानिक होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्वर 1 व 2 के शामलाती खाता संख्या 34 ग्राम देहरी की जमाबन्दी संबंध 2023 से भी यह पूर्णतया प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 चुन्नीलाल के पुत्र है तथा अपीलान्ट मृतक खातेदार लालजीराम के वारिस एवं उत्तराधिकारी है इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष मे फर्जी एवं कपट पूर्वक तरीके से खुलवाया गया इन्तकाल खारिज किये जाने योग्य है। बैंक ऋण लेने हेतु ई मित्र से कडेयाबन मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 817/ 896 की नकल लेने पर अपीलान्ट को यह जानकारी मिली की उक्त आराजी मे हीरालाल पुत्र लालजीराम तथा छोटया पुत्र लालजीराम के नाम दर्ज हो चुकी है जबकि मृतक खातेदार लालजीराम के रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 हीरालाल व छोटया पुत्र नहीं है बल्कि वह चुन्नीलाल के पुत्र है जिन्होने अपीलान्ट की गैर मोजूदगी का फायदा उठाकर बदनियति से स्वंय को लालजीराम का पुत्र बताकर उक्त इन्तकाल तस्दीक करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अपने पिता के जीवनकाल मे ही ग्राम कडैयावन छोडकर ग्राम देहरी चले गये थें और वही जीवन निर्वाह कर रहे थे इस कारण अपीलान्ट एवं उनके पिता की गैर मोजूदगी का फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारी पटवारी से इन्तकाल नं. 376 स्वयं के नाम खुलवाकर ग्राम पंचायत मे तस्दीक करवाया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने दिनांक 22.09.2024 को ई मित्र से आराजी खसरा नं. 817/ 896 ग्राम कडेयाबन की नकल लेने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट ने तहसीलदार भू अभिलेख कार्यालय जिला कलकटर बारा के यहा नकल इन्तकाल लेने हेतु दिनांक 26.09.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट को इन्तकाल की नकल दिनांक 08.10.2024 को प्रात हुई इस प्रकार जानकारी की तिथी एवं इन्तकाल मिलने की तिथी 08.10.2024 से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के सम्मन वाद तामील प्राप्त। बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 298 नकल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 34 नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 104 नकल नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 11.12.1978 फोटो प्रति आधार कार्ड जगदीशचन्द फोटो प्रति आधार कार्ड हरिचरण फोटो प्रति आधार कार्ड पप्पूलाल फोटो प्रति आधार कार्ड चिमन बाई फोटो प्रति आधार कार्ड शिमला फोटो प्रति आधार कार्ड कमला बाई फोटो प्रति आधार कार्ड कन्या बाई फोटो प्रति आधार कार्ड परमेश फोटो प्रति आधार कार्ड कमलेश जयन्त पेश किये गये।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 3,4 के द्वारा दिनांक 11.12.1978 को इन्तकाल नम्बर 376 सर्वथा अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है मृतक खातेदार लालजी पुत्र गोरया के वारिसान की बिना जांच किये नामान्तरण 376 तस्दीक किया है जो काबिल खारिजी है। आराजी खसरा नम्बर 817/896 रकबा 10 बीघा भूमि लालजी राम पुत्र गोरया जाति जाटव निवासी ग्राम कडैयाबन के खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। मृतक लालजीराम की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण संख्या 376 बिना वारिसान की जांच तस्दीक किया है जो काबिल खारिजी है खसरा नम्बर 817/896 रकबा 10 बीघा के खातेदार लालजीराम था। लालजीराम के वारिस जगदीश हरिचरण व घांसीलाल थे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 चुन्नीलाल के वारिस है0 मृतक लालजीराम के वारिस हीरालाल व छोटया मानतें हुए नामान्तरण संख्या 376 तस्दीक किया है जो काबिल खारिजी है क्योकि मृतक लालजीराम के जायज वारिस जगदीश,हरिचरण,घांसीलाल थें। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते की आराजी ग्राम देहरी में स्थित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट हीरालाल व छोटया के पिता का नाम चुन्नीलाल दर्ज है। तथा अपीलान्ट के पिता व दादा का नाम लालजीराम अंकित है इसी प्रकार बडौदिया की आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज है जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पिता का नाम चुन्नीलाल दर्ज है ग्राम कडैयावन की भूमि खसरा नम्बर 817/896 रकबा 10 बीघा में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 हीरालाल व छोटेलाल के पिता का नाम लालजीराम दर्ज कर नामान्तरण तस्दीक कर दिया है जबकि लालजीराम के वारिस रेस्पोडेन्ट नही थे नामान्तरण नम्बर 376 ग्राम कडैयाबन खारिज फरमाया जावें। तथा लालजीराम के जायज वारिसान अपीलान्ट के नाम नामानतरण खोल कर तस्दीक किया जावें।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 298 में हीरालाल पुत्र लालजी, छोटेलाल, पुत्र लालजी कोम जाटव दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 34 में घांसीलाल पुत्र लालजी, जगदीश पुत्र लालजी, नाथीबाई, पत्नि स्व0 लालजी, हरीश पुत्र लालजी एवं छोटया पुत्र चुन्नी, हीरा पुत्र चुन्नी का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 104 में छोटेलाल, हीरालाल पुत्र चुन्नीलाल दर्ज है नामान्तरण नम्बर 376 ग्राम कडैयाबन मृतक लालजी का फोती नामान्तरण तस्दीक किया गया है नामान्तरण में मृतक लालजी के वारिस हीरालाल व छोटेलाल पुत्र लालजीराम के नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि *"इंतकाल की जानकारी*

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

22.09.2024 को नकल इंतकाल नम्बर 386 दिनांक 11.12.1978 प्राप्त करने पर हुई' उक्त नामान्तरण लगभग 46 वर्ष पुराना है तथा प्रार्थी के द्वारा बताया गया कारण मानने योग्य नही है इसलिए प्रार्थी द्वारा अपील में कि गई देरी मानने योग्य नही है एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा